

कार्यालय पटवारी हल्का नंबर..... ग्राम..... तहसील.....

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय

तहसील..... जिला.....

विषय: द्वारा आवेदित ग्राम..... पटवारी हल्का नंबर..... कुल खसरा नंबर..... रकबा..... कुल रकबा..... हे. भूमि पर हेतु आवेदन पत्र बावत।

उपरोक्तानुसार ग्राम..... की भूमि खसरा नंबर..... रकबा..... हे. का मौके की रिपोर्ट बिंदुवार चाही गई है। जांच रिपोर्ट मय पंचनामा निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जाकर आपकी ओर सादर प्रेषित है :

1.	क्या आवेदित क्षेत्र का मिलान पटवारी के नक्शे की चालू सीट से होता है, संलग्न नक्शा पर पटवारी के हस्ताक्षर किये जावें।	
2.	आवेदित खसरा के क्षेत्र का कुल रकबा - आवेदित खसरा का रकबा - निस्तार हेतु सुरक्षित रकबा - हेक्टेयर में।	
3.	ग्राम का कुल रकबा - पशुओं की संख्या - चराई के लिए सुरक्षित कुल रकबा - हेक्टेयर में।	
4.	नियमानुसार चराई हेतु सुरक्षित रकबा छोड़ने पर कितना आवेदित क्षेत्र के आसपास का पूर्व स्वीकृत रकबा शेष रहता है, खनि पट्टे/उत्खनन पट्टे, खसरा नंबर का नक्शा एवं खसरा पांचसाला संलग्न किया जाये।	
5.	आवेदित क्षेत्र से रेलवे लाइन, नदी, नाला, रोड, मरघट आदि की दूरी	
6.	ग्राम की आबादी से आवेदित क्षेत्र की दूरी	
7.	आवेदित भूमि की खसरा पांचसाला का ब्यौरा खसरा पांचसाला की नकल पटवारी हस्ताक्षरित संलग्न किया जावे।	
8.	आवेदित क्षेत्र के मुख्य तथा गौड़ फसल का ब्यौरा तथा वार्षिक लगान	
9.	आवेदित क्षेत्र के निस्तार क्षेत्र बावत निस्तार पत्रक संलग्न किया जावे, आवेदित क्षेत्र निस्तार हेतु सुरक्षित हेतु नहीं है	
10.	आवेदित क्षेत्र की भूमि समतल/उबड़ खाबड़/पहाड़ी/ दो फसली/पड़ती आदि का ब्यौरा	
11.	यदि क्षेत्र में कृषि उपज होती है तो यह स्पष्ट करें कि खनिज से प्राप्त होने वाली आय से कम होगा या ज्यादा	
12.	क्या ग्रामवासियों को पास के जंगल में मवेशी चराई की सुविधा उपलब्ध है	

13.	आवेदित क्षेत्र के विषय में ग्राम कोटवार से मुनादी कराकर ग्रामवासियों, ग्राम पंचायत का मत प्राप्त कर संलग्न किया जावे।	
14.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी विशेष योजना के अंतर्गत आता है या निकट भविष्य में आने की सम्भावना है अथवा अन्य विभाग के द्वारा इस क्षेत्र में मांगे जाने की सम्भावना है।	
15.	निजी भूमि के मामले में यदि भूमि अर्जित की जाती है तो क्षेत्रपूर्ति मुआवजा का अनुमानित राशि प्राप्त एकड़/वर्तमान मूल्य	
16.	क्या भूमिस्वामी का भूमि खनिज दोहन हेतु अर्जित किये जाने पर भूमिस्वामी भूमिहीन तो नहीं हो जायेगा।	
17.	क्या भूमिस्वामी ने पहले भी अन्य प्रकरण में अपनी सहमति दी है यदि हाँ तो नाम और पता	
18.	अशासकीय भूमि के मामले में निम्नलिखित तथ्यों की जानकारी है : (क) फसल का नाम - एकफसली का रकबा दो फसली का रकबा (ख) भूमिस्वामी की सहमति है या नहीं - (ग) क्या क्षेत्र पड़ती है यदि हाँ तो कितने वर्षों से (घ) क्या भूमि रहन या गिरवी है (ङ) आवेदित क्षेत्र में पेड़ों की स्थिति बाग या फलदार वृक्ष राष्ट्रीय लकड़ी की संख्या (च) भूमिस्वामी हरिजन या आदिवासी है (छ) भूमिस्वामी के पास कुल कितनी भूमि है (ज) शासन द्वारा भूमिस्वामी को भूमि वांछित (अलॉटेड) तो नहीं की गई।	
19.	आवेदित क्षेत्र वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन्य परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है या नहीं	
20.	क्या आवेदित क्षेत्र में खनि रियायत स्वीकृत की जाती है तो अन्य कोई वैधानिक अडचन तो न होगी तर्क सहित स्पष्ट करें।	
21.	आवेदित क्षेत्र नया है या पूर्व में किसी क्षेत्र पर खनि पट्टा/उत्खनन पट्टा/पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति स्वीकृत था।	
22.	अन्य आवश्यक जानकारी	

सहपत्र - पंचनामा

हस्ताक्षर
पटवारी